न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

रसद अपील सं. 18/2024

अपीलार्थी–	बनाम	उत्तरदाता–
संजय कुमार पुत्र श्री हस्तीमल जाति जैन निवासी सिंहाणी तहसील रामसर, जिला बाड़मेर		राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 22(ए) राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 विरूद्ध निर्णय दिनांक 05.04.2024 जो विभागीय प्रकरण सं. 61/2021 मे जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री सुरेश कुमार पूनड़, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. उत्तरदाता स्वयं उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 16.04.2025

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 की धारा 22(ए) के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रकरण सं. 61/2021 सरकार बनाम संजय कुमार मे पारित निर्णय दिनांक 05.04.2024 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रवर्तन निरीक्षक बाड़मेर द्वारा अपीलार्थी संजय कुमार पुत्र श्री हस्तीमल जाति जैन निवासी सिंहाणी तहसील रामसर उचित मूल्य दुकान सिंहाणी तहसील रामसर का निरीक्षण किये जाने पर विभिन्न अनियमितताऐं पाई गई है। इस पर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के विभिन्न खण्डों एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए अपीलार्थी का प्राधिकार–पत्र निलम्बित करते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:18:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उसके विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर जांच संस्थित की गई। जांच उपरांत अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.04.2024 पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील हमारे समक्ष दिनांक 22.05.2024 को प्रस्तुत की गई तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि उतरदाता द्वारा अपीलांट के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने के पश्चात अपीलांट के नाम प्राधिकारी पत्र को निलम्बित करते हुए उक्त ग्राम पंचायत सिंहाणी की उचित मूल्य की दुकान वैकल्पिक व्यवस्था हेतु अन्य डीलर श्री बाबुलाल पुत्र रिखबदास को संचालन करने का आदेश दिनांक 19.05.2020 को जारी किया गया। संचालनकर्ता श्री बाबुलाल के विरुद्ध भी ग्रामवासियों द्वारा शिकायत की गई उक्त शिकायत की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा नायब तहसीलदार रामसर को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत कर तत्पश्चात जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था हेतु श्री थानाराम पुत्र देराजराम उचित मूल्य दुकान हाथमा को वितरण व्यवस्था हेतु दिनांक 16.12.2021 को अधिकृत किया। विभागीय जांच के साथ–साथ अपीलांट के विरूद्ध एक फौजदारी प्रकरण थाना रामसर में एफआईआर संख्या 71 दर्ज हुई थी जिसके बाद अनुसंधान पुलिस ने अपीलांट के विरूद्ध अपराधिक कृत्य में संलिप्त नहीं मानते हुए अनुसंधान अधिकारी द्वारा दिनांक 30.12.2021 को न्यायालय में प्रकरण को सिविल नेचर का मानते हुए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उचित मूल्य दुकान सिंयाणी में वैकल्पिक डीलर थानाराम के विरूद्ध भी ग्रामवासियों द्वारा शिकायत की गई तथा उक्त शिकायत के संबंध में जिला रसद अधिकारी

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:18:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

द्वारा दिनांक 17.02.2022 को आदेश जारी कर पूर्व में थानाराम पुत्र देराजराम को दी गई वैकल्पिक वितरण व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया तथा अपीलांट के विरूद्व दर्ज प्रकरण को यथावत रखते हुए अपीलांट को प्राधिकार पत्र जो पूर्व में निलम्बित किया था, जिसे बहाल करते हुए पुनः उचित मूल्य दुकान सिंहाणी पर रसद सामग्री वितरण का कार्य अपीलांट संजय कुमार को हस्तांतरण करने का आदेश दिया गया था। शिकायतकर्ता द्वारा अपीलांट पर मृतक तालब खां, हजरीसिंह व रेखा कंवर के गेहुं प्राप्त कर हड़प करने का आरोप लगाया था। जिसमें विभाग द्वारा की गई जांच अनुसार उनके परिवार के सदस्य सावली, चुनीदेवी एवं गोपालसिंह जो कि मृतक के परिवार के सदस्य है, जिन्होने उक्त गेहुॅ प्राप्त किए। मृतकों के परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा गेहुॅ प्राप्त करना शपथ–पत्र में स्वीकार किया तथा लाभार्थियों द्वारा विभाग से अनियमितता के तहत किए गए गेहुॅ के एवज मे पैसा देने की भी अपनी सहमति दी। शिकायतकर्ता द्वारा अपीलांट पर लगाए आरोपों की विभाग द्वारा की गई जांच पश्चात यह स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा ऐसी कोई गंभीर त्रुटि करना व विभाग की शर्तो एवं नियमों की अवहेलना करना नहीं पाया। इसके बावजूद उक्त शिकायत व कोरोना काल में सरकार के आदेशानुसार ऑफलाईन वितरण का इन्द्राज अलग से नहीं करने को आधार मानकर अपीलांट के विरुद्व विभागीय कार्यवाही कर प्रकरण पर मौजूद तथ्यों को अनदेखा करते हुए एकतरफा आदेश पारित किया गया हैं। उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है जो निरस्त फरमाते हुए अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को पुनः बहाल करने का आदेश प्रदान करावें।

5. इसके जवाब मे रेस्पोडेंट की ओर से यह तर्क है कि अपीलांट के प्राधिकार पत्र के अन्तर्गत उचित मूल्य [illegible] सिंहाणी द्वारा मृतक सदस्यों की राशन सामग्री का [illegible] उपभोक्ता सावली पत्नी तालब खां को सामग्री का वितरण नहीं [illegible] दुकानदार द्वारा गबन किया जाना स्पष्ट है। उक्त राशनकार्डो के मृतक सदस्यों की राशन सामग्री का

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:18:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उठाव दुकानदार द्वारा बिना आधार सत्यापन के किया गया, जिसका रिकार्ड संधारण भी किया जाकर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं. 2, 11 व 18 का उल्लंघन मानकर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है, जो सही एवं उचित है, लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज की जाए।

6. हमने दोनो पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि शिकायतकर्ता द्वारा अपीलांट पर मृतक तालब खां, हजरीसिंह व रेखा कंवर के गेहुँ प्राप्त कर हड़प करने का आरोप लगाया था। जिसमें विभाग द्वारा की गई जांच अनुसार उनके परिवार के सदस्य सावली, चुनीदेवी एवं गोपालसिंह जो कि मृतक के परिवार के सदस्य है, जिन्होने उक्त गेहुँ प्राप्त किए। मृतकों के परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा गेहुँ प्राप्त करना शपथ–पत्र में स्वीकार किया तथा लाभार्थियों द्वारा विभाग से अनियमितता के तहत किए गए गेहुँ के एवज मे पैसा देने की भी अपनी सहमति दी गई। इस प्रकार उक्त प्रकरण में अपीलांट के विरुद्ध ऐसा कोई अपराध प्रमाणित नहीं पाया गया। इस कारण से अपीलांट के विरुद्ध पारित आदेश को अविधिक रूप से पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अपीलांट के विरुद्ध दर्ज प्रकरण में विभाग द्वारा की गई सम्पूर्ण जांच तथा समांतर दर्ज पुलिस प्रकरण के अनुसंधान में ऐसा गंभीर अपराध/अनियमितता अपीलांट के विरुद्ध नही पायी गई। अपीलांट द्वारा विभाग की शर्तो की पूर्ण पालना कर लाभाथीयों को समय–समय पर आवश्यक सामग्री का वितरण किया गया। ऐसी स्थिति मे अपीलांट को प्राधिकार पत्र पुनः बहाल किया किया जाना न्यायोचित है। रेस्पोडेंट की ओर से यह तर्क है कि अपीलांट के प्राधिक[illegible] अन्तर्गत उचित मूल्य दुकान सिंहाणी द्वारा मृतक स[illegible] वितरण किया गया, जिसमें उपभोक्ता सावली पत्नी तालब ख[illegible] को सामग्री का वितरण नहीं कर दुकानदार द्वारा गबन किया जाना स्पष्ट है। उक्त राशनकार्डो के मृतक

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:18:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

सदस्यों की राशन सामग्री का उठाव दुकानदार द्वारा बिना आधार सत्यापन के किया गया, जिसका रिकार्ड संधारण भी किया जाकर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं. 2, 11 व 18 का उल्लंघन मानकर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है, जो सही एवं उचित है, लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज की जाए। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत तथ्य एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अपीलार्थी के विरूद्ध ऐसी कोई विभागीय गम्भीर अनियमितता होना प्रकट नहीं होता हैं। इसके साथ ही उतरदाता प्रकट किया कि उक्त तीनों राशन कार्डो में मृतक सदस्यों की राशन सामग्री का वितरण किया गया। इसके विपरीत अधिवक्ता अपीलांट द्वारा उक्त मृतक परिवार के सदस्यों द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत गेहूँ प्राप्त करना स्वीकार किया है। ऐसे मे प्रथम तो राशनकार्ड धारकों द्वारा ही जानबूझकर अपने मृतक सदस्यों की इकाई के नाम से गेंहू प्राप्त करना सरकारी लाभ योजना का दुरूपयोग एवं अवैधता रही हैं, साथ ही यह उन्ही की जिम्मेदारी थी कि मृतक की इकाई को राशनकार्ड से विलोपित करने की कार्यवाही करते। इस प्रकार से अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त करने के अपीलाधीन आदेश में अपीलार्थी के विरूद्ध ऐसी कोई विभागीय गम्भीर अनियमितता होना प्रकट नहीं होता हैं। इसके अलावा विभाग द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज करवाई गई आपराधिक प्राथमिकी रिपोर्ट भी अदम वकू में अंतिम रिपोर्ट कर दी गई हैं। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों के मद्देनजर प्रकरण मे अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नही कर आदेश पारित किया गया है जिसके आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत [illegible] अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ जिला रसद अ[illegible]रण सं. 61/2021 मे पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.04.2024 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:18:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आवश्यक जांच एवं अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों का समग्र विवेचन कर पुनः नये सिरे से निस्तारण करें।

8. आदेश आज दिनांक 16.04.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:18:58 IST
Reason: SelfAttested